भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1422

31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण

1422. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न का स्टॉक कम हो गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या राजस्थान सरकार ने एनएफएसए के अंतर्गत उक्त योजना के लाभ से वंचित पात्र व्यक्तियों को कवर करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है; और
(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित पात्र व्यक्तियों को कवर करने के लिए सरकार की क्या कार्य-योजना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार, जो सबसे निर्धन वर्ग है, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के पात्र हैं, वहीं प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की स्टॉक की मात्रा में कोई कमी नहीं की गई है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में राजस्थान की 69.09% ग्रामीण और 53% शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 446.62 लाख व्यक्तियों की अधिकतम सीमा है।

एनएफएसए के तहत लाभार्थी कवरेज को बढ़ाने के संबंध में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि अधिनियम के तहत कवरेज के निर्धारण के लिए निर्धारित मानदंड पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू हैं, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है।

*****